STARTUP MINDS®
NeuSource
HELPING STARTUPS TO START

वस्तु और सेवा कर एक परिचय

(Goods & Service Tax)

GST

हर स्टार्टअप
के विकास की
पहली सीढ़ी

We Help Startups to Start

"नमस्कार दोस्तों, आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो आज के दौर में हर व्यवसायी की ज़ुबान पर है - वस्तु और सेवा कर, यानी GST। खासकर जब बात आती है स्टार्टअप्स की, तो जीएसटी एक ऐसा पहलू है जिसे समझना न केवल जरूरी है, बल्कि यह उनके व्यापारिक सफर का महत्वपूर्ण अंग भी बनता है। हमारी यह पुस्तिका 'वस्तु और सेवा कर: एक परिचय' उन सभी युवा उद्यमियों के लिए है जो अपने स्टार्टअप के सपने को साकार करने के लिए जीएसटी की मूल बातों को समझना चाहते हैं। इस पुस्तिका के माध्यम से, हम जीएसटी की उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझेंगे जो किसी भी स्टार्टअप के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। चाहे वो जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, या फिर जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग, हम इन सभी विषयों को आसान और सरल हिंदी भाषा में समझाएंगे। इस पुस्तिका का उद्देश्य यह है कि जीएसटी के बारे में आपकी समझ न सिर्फ बढ़े, बल्कि आप इसे अपने व्यापार में सही तरीके से लागू भी कर पाएं। आज के युग में जीएसटी का ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना कि आपके व्यापार का बिज़नेस मॉडल। यह न सिर्फ आपको कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके व्यापार को भी एक स्थिर और विकसित दिशा प्रदान करता है। हमारा मानना है कि सही जानकारी और ज्ञान से आप अपने व्यवसाय को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं और जीएसटी के माध्यम से यह संभव हो सकता है। तो आइये, इस पुस्तिका के साथ आपके स्टार्टअप के सफर में एक नया और महत्वपूर्ण चरण शुरू करें। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका आपको जीएसटी की जटिलताओं को समझने और उन्हें अपने व्यापार में सहजता से लागू करने में मदद करेगी। आपके स्टार्टअप की सफलता में हमारी यह छोटी सी कोशिश सहायक सिद्ध हो, यही हमारी कामना है। तो चलिए, इस ज्ञानयात्रा पर हम सभी साथ चलते हैं और जीएसटी के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। आपका इस यात्रा में स्वागत है!"

HEMANT GUPTA

Index

जीएसटी - व्यापार को और अधिक संगठित और व्यवस्थित बनाता है

जीएसटी का परिचय
(Introduction to GST)

जीएसटी पंजीकरण
(GST Registration)

जीएसटी अनुपालन और रिटर्न दाखिल करना
(GST Compliance and Filing Returns)

जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
(Reverse Charge Mechanism in GST)

जीएसटी और आयात एवं निर्यात
(GST and Import & Export)

जीएसटी और विनिर्माण क्षेत्र
(GST and the Manufacturing Sector)

जीएसटी और सेवा क्षेत्र
(GST and Service Sector)

ई-कॉमर्स पर जीएसटी
(GST on E-commerce)

जीएसटी छूट
(GST Exemptions)

जीएसटी में रिफंड प्रक्रिया
(Refund Process in GST)

जीएसटी की विविध अवधारणायें
(Miscellaneous Concept of GST)

Introduction to GST

जीएसटी: नये युग का टैक्स, हर स्टार्टअप के लिए जानना ज़रूरी

भारत में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) का क्रियान्वयन एक ऐतिहासिक कदम था जिसने कर प्रणाली को बदल कर रख दिया। इससे पहले, अलग-अलग तरह के अप्रत्यक्ष कर होते थे जैसे कि वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि, जिससे कर प्रणाली काफी जटिल और पेचीदा थी। जीएसटी ने इन सभी को एकीकृत किया, जिससे कर प्रणाली सरल और पारदर्शी हो गई। इससे देशभर में एक समान कर दर लागू हो गई, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। इससे डबल टैक्सेशन की समस्या का समाधान हुआ और उत्पादों की लागत में कमी आई। व्यापार और उद्योगों के लिए यह लाभदायक सिद्ध हुआ क्योंकि इससे उत्पादन लागत कम हुई। उपभोक्ताओं के लिए भी यह फायदेमंद रहा क्योंकि सामान और सेवाओं की कीमतें कम हुईं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य पर उत्पाद मिलने लगे। इससे टैक्स इकट्ठा करने में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, जीएसटी के लागू होने के साथ ही कई चुनौतियां भी आईं। शुरुआत में, व्यापारियों, यों खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यापारियों को इस नई प्रणाली को समझने में कठिनाई हुई। उन्हें अनुपालन करने की लागत काफी अधिक लगी, जिससे उनके कारोबार पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। सेवा क्षेत्र, जिसमें कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, पर भी जीएसटी का प्रभाव पड़ा क्योंकि कुछ सेवाओं पर कर दरें पहले के मुकाबले अधिक हो गई। इसके अलावा, व्यापारियों को अपने कारोबारी मॉडल में बदलाव करने पड़े, जिससे उनके व्यापार पर अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा। उत्पाद वर्गीकरण में भी जटिलता आई, जिससे कुछ उत्पादों के लिए जीएसटी दरों का निर्धारण करना कठिन हो गया और व्यापारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई। फिर भी, यह भारतीय बाजार में एक नई शुरुआत का प्रतीक है जो नई विकास संभावनाओं को जन्म दे रहा है। जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा प्रदान की है इसने कर प्रणाली को सरलीकृत किया और उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने में मदद की

1 Overview of GST

जीएसटी, यानी वस्तु और सेवा कर, भारत की एक नई कर प्रणाली है जो 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई। इसका मुख्य मकसद है कर प्रणाली को आसान बनाना और टैक्स चोरी को रोकना। इस नई कर प्रणाली में, सभी सामानों और सेवाओं पर एक ही तरह का टैक्स लगता है, जिससे कर के नियम ज्यादा पारदर्शी हुए हैं। जीएसटी के तहत, हर व्यापारी को एक विशेष जीएसटी नंबर के साथ पंजीकृत होना पड़ता है। इस प्रणाली का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कर अंतिम उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, न कि उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा।

2 Different Types of GST

जीएसटी को तीन हिस्सों में बांटा गया है: सेंट्रल जीएसटी (CGST), स्टेट जीएसटी (SGST), और इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST)। जब एक राज्य के अंदर ही सामान या सेवाएं बिकती हैं, तो CGST और SGST दोनों लगते हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स मिलता है। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जाता है, तो IGST लगता है। यह प्रणाली न केवल "One Nation One Tax" की संकल्पना को साकार करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि कर संग्रहण प्रक्रिया में दोहराव और असंगतियां कम से कम हो।

3 GST Rates

जीएसटी की दरें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अलग-अलग होती हैं। ये दरें 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% हैं। इन दरों का निर्धारण उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और महत्व पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, आवश्यक वस्तुएँ जैसे कि खाद्य पदार्थ और दवाएं कम जीएसटी दरों के अंतर्गत आती हैं, जबकि लक्जरी वस्तुएँ उच्च जीएसटी दरों के अंतर्गत आती हैं।

4 HSN/SAC Codes

HSN (Harmonized System of Nomenclature) कोड और SAC (Services Accounting Code) कोड जीएसटी के तहत उत्पादों और सेवाओं को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। HSN कोड वस्तुओं के लिए है, जबकि SAC कोड सेवाओं के लिए है। ये कोड विश्व स्तर पर मान्य हैं और व्यापारियों को उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए सही जीएसटी दर का चयन करने में मदद करते हैं।

GST Registration

GST Registration व्यापार को कानूनी पहचान देता है

जीएसटी, व्यापारियों के लिए न केवल एक कर अनुपालन है, बल्कि उनके व्यापार की साख और विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। जब आप जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, तो आपका व्यापार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो जाता है। इससे आपको व्यापारिक लेनदेन में सहूलियत होती है और आप अपने ग्राहकों को टैक्स इनवॉइस जारी कर सकते हैं। इससे आपके व्यापार की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। जीएसटी पंजीकरण से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने व्यापार के लिए सामान या सेवाएं खरीदते हैं, तो आपको जो जीएसटी देना पड़ता है, उसे आप अपने बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी लागत में कमी आती है और लाभ बढ़ता है। जीएसटी पंजीकरण, आपके व्यापार को वृहद स्तर पर ले जाने में सहायक होता है। इससे आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद या सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं और बड़े बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं। अगर किसी स्टार्टअप का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये या उससे अधिक है (उत्तर-पूर्वी राज्यों, ज्यों उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश में यह सीमा 20 लाख है), तो उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। सेवा प्रदाताओं के लिए ये सीमा 20 लाख है। विशेष रुप से, अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचते हैं या अंतर्राज्यीय व्यापार करते हैं, तो आपको जीएसटी पंजीकरण कराना ही होगा, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। इसके अलावा, जीएसटी पंजीकरण से आपको सरकारी टेंडर्स में भाग लेने का मौका मिलता है, और यह कई बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं के लिए भी अनिवार्य हो सकता है। जीएसटी पंजीकरण आपके व्यापार को एक औपचारिक और पेशेवर रूप प्रदान करता है, जो ग्राहकों के विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इसलिए, यदि आपके व्यापार जीएसटी जरुरी नहीं भी है, तो भी इसका पंजीकरण अवश्य कराएं

1 Registration Process

सबसे पहले, आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर एक नया आवेदन भरना होता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, व्यापार का विवरण, और बैंक खाते की जानकारी शामिल होती है। आपको अपने व्यापार का पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ भी अपलोड करने होते हैं। आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक ARN (Application Reference Number) मिलता है, जिसका उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। जब आपका पंजीकरण स्वीकृत हो जाता है, तो आपको एक जीएसटी पहचान संख्या (GSTIN) प्रदान की जाती है। यह GSTIN आपके व्यापार की पहचान और जीएसटी के तहत आपके सभी लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण होती है।

2 GST Composition Scheme

इस योजना के अंतर्गत, अगर व्यापारी का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये (कुछ विशेष राज्यों में 75 लाख रुपये) तक है, तो वे इसके लिए पात्र होते हैं। सेवा प्रदाताओं (Restaurant को छोड़कर) के लिए ये सीमा 50 लाख है। इसका फायदा यह है कि इसमें कम कर दरें (1%, 5%, 6%) लागू होती हैं। हालांकि, इसकी एक बड़ी कमी यह है कि व्यापारी अंतर-राज्यीय बिक्री नहीं कर सकते, जिससे उनके व्यापार की पहुंच प्रभावित होती है। इसके अलावा, वे अपनी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते और ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकते। हालांकि, कोई भी व्यापारी इस योजना से किसी भी समय बाहर निकल कर रेगुलर स्कीम में आ सकता है।

3 Record-Keeping Requirements in GST

जीएसटी व्यवस्था में रिकॉर्ड-कीपिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल कर अनुपालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि व्यापार के लेखा-जोखा को भी स्पष्ट और व्यवस्थित बनाता है। इसमें खरीदे गए सामान और प्रदान की गई सेवाओं के बिल, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं। रिकॉर्ड-कीपिंग की यह प्रक्रिया आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में सहायता प्रदान करती है, इसके अलावा, यदि आपके व्यापार का ऑडिट किया जाता है, तो ये रिकॉर्ड आपके लेखा-जोखा की सटीकता को साबित करने में महत्वपूर्ण होते हैं।

4 Mandatory Licenses & Registration for GST Registration

जीएसटी पंजीकरण के लिए ट्रेड लाइसेंस, शॉप और एस्टैब्लिशमेंट या प्रोफेशनल टैक्स की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन किसी भी म्युनिसिपल क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ये जरूरी हो सकते हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में जीएसटी पंजीकरण के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ सकता है, और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में शॉप और एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो सकता है। प्रोफेशनल टैक्स भी कुछ राज्यों में व्यापार चलाने और जीएसटी पंजीकरण के लिए अनिवार्य है, जैसे कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, गुजरात आदि।

GST Compliance and Filing Returns

GST का सही तरीके से भुगतान और फाइलिंग करें

जीएसटी में, Regular Dealer और Composition Dealer दोनों के लिए अलग-अलग तरह के रिटर्न भरने का नियम है, जो उनकी सालाना बिक्री पर निर्भर करता है। जो लोग नियमित पंजीकरण के अंतर्गत आते हैं, उन्हें जिनकी सालाना बिक्री 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें हर महीने GSTR-1 और GSTR-3B भरना होता है। GSTR-1 में हर महीने की 11 तारीख से पहले बिक्री की जानकारी देनी होती है और हर महीने की 20 तारीख तक GSTR-3B में टैक्स का भुगतान करना होता है। जिनकी सालाना बिक्री 5 करोड़ तक है, उन्हें GSTR-1 तीन महीने में एक बार भरना होता है, पर GSTR-3B हर महीने भरना होता है। सालाना रिटर्न GSTR-9 अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक भरना होता है। जिनका पंजीकरण रद्द हो गया है या जिन्होंने अपना पंजीकरण छोड़ दिया है, उन्हें GSTR-10 भरना होता है, जो एक अंतिम रिटर्न होती है। Composition Dealer को हर तीन महीने में फॉर्म CMP-08 में चालान के साथ टैक्स का भुगतान करना होता है। Composition Dealer को सालाना रिटर्न GSTR-4 भी भरना होता है। Composition Scheme में रजिस्टर्ड व्यापारियों राज्य के बाहर सामान नहीं बेच सकते और उन्हें विस्तार से लेखा-जोखा रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इनके लिए टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं: निर्माताओं के लिए 1%, रेस्टोरेंट्स के लिए 5%, और सेवा प्रदाताओं के लिए 6%। जो लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री करते हैं, उन्हें GSTR-8 भी भरना पड़ सकता है। इस प्रकार, जीएसटी में अलग-अलग तरह के व्यापारियों के लिए जो रिटर्न भरने की प्रक्रिया और समय होता है, वो उनकी सालाना बिक्री और व्यापार के प्रकार पर निर्भर करता है। ये नियम और प्रक्रिया जीएसटी को एक व्यवस्थित और साफ-सुथरी कर प्रणाली बनाने में मदद करती हैं।

1 Understanding GST Compliance

जीएसटी अनुपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापारी और व्यवसायी जीएसटी के तहत आवश्यक सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। इसमें सही समय पर सटीक और पूर्ण रिटर्न फाइल करना, उचित टैक्स चुकाना, और सभी लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना शामिल है। यह न केवल सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि व्यापारी और व्यवसायी को भी कानूनी जोखिमों और दंड से बचाता है।

2 NIL Return Filing

निल रिटर्न तब दाखिल किया जाता है जब किसी विशेष समय अवधि में किसी व्यापारी या व्यवसायी द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया गया हो। जीएसटी कानून के अनुसार, यदि एक रजिस्टर्ड व्यापारी या व्यवसायी किसी महीने में कोई व्यवसायिक लेन-देन नहीं करता है, तो भी उसे निल रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। निल रिटर्न दाखिल करने से सरकार को ये पता चलता है कि व्यापारी ने उस अवधि में कोई कर योग्य खरीद या बिक्री नहीं की है।

3 Common Mistakes to Avoid in Filing

पहली और सबसे आम गलती है गलत जानकारी देना। व्यापारी को चाहिए कि वे सभी जानकारी, जैसे कि बिक्री, खरीद, और इनपुट क्रेडिट की जानकारी, सही और पूरी तरह से दें। दूसरी आम गलती है देर से रिटर्न दाखिल करना। जीएसटी के तहत समय पर रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है। तीसरी गलती है इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा करना। व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट का दावा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

4 Penalties for Non-Compliance

यदि व्यापारी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या देरी से करते हैं, तो उन्हें देरी शुल्क के रूप में जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना प्रति दिन के हिसाब से लगाया जाता है, और यह रिटर्न दाखिल करने तक लगता रहता है। दूसरा, गलत या भ्रामक जानकारी देने पर भी व्यापारी को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तीसरा, यदि व्यापारी जानबूझकर कर चोरी करते हैं या फर्जी बिलों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे जीएसटी कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए कठोर दंड और कभी-कभी जेल की सजा भी हो सकती है।

Reverse Charge Mechanism in GST

रिवर्स चार्ज मैकेनिज़म में खरीदारी पर व्यापारी ही जीएसटी भरेगा

रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म, जिसे हम जीएसटी में RCM के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ जीएसटी का भुगतान विक्रेता की बजाय खरीदार को करना होता है। आमतौर पर, GST अधिनियम के तहत, एक विक्रेता अपने ग्राहकों से GST इकट्ठा करता है और इसे सरकार को जमा करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में, यह दायित्व उल्टा हो जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन परिस्थितियों के लिए लागू की गई है जहां एक अपंजीकृत विक्रेता एक पंजीकृत व्यापारी को सेवाएं या सामान बेचता है। अब सवाल उठता है कि रिवर्स चार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मुख्य सभी लेन-देन को जीएसटी के दायरे में लाना है। जब एक पंजीकृत व्यापारी एक अपंजीकृत विक्रेता से सामान या सेवाएं खरीदता है, तो वह इसे अपने जीएसटी रिटर्न में दर्शाता है और उस पर लागू जीएसटी का भुगतान करता है। लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है कि कई बार यह व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन जाता है। खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए, रिवर्स चार्ज एक अतिरिक्त बोझ बन सकता है। इसके अलावा, इससे कैश फ्लो पर भी असर पड़ता है क्योंकि जिन सामानों या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लागू होता है, उन पर निकाले गए आउटपुट जीएसटी को खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए नहीं चुका सकता, बल्कि इसे केवल नकद में ही भुगतान करना होता है और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इसे वापस प्राप्त करना होता है। इसी कारण से, कई पंजीकृत व्यापारी अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीदने से बचते हैं, क्योंकि यह उनके लिए अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ा देता है। इस प्रक्रिया से बचने के लिए वे अक्सर उन्हीं विक्रेताओं से खरीदारी करना पसंद करते हैं जो पहले से ही जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हों। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के तहत जीएसटी देने के लिए उत्तरदायी है, तो उसे जीएसटी के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इस मामले में, 20 लाख या 40 लाख रुपये की सीमा, जो भी मामला हो, उन पर लागू नहीं होगी

1 Applicability

CBIC ने उन चीजों की एक सूची जारी की है जिन पर रिवर्स चार्ज लागू होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में, रजिस्टर्ड डीलर को 80% सामान पंजीकृत विक्रेताओं से खरीदना होता है, और अगर यह सीमा कम होती है, तो रजिस्टर्ड डीलर को शेष राशि पर 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज पर देना होता है। ईकॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं पर भी रिवर्स चार्ज लागू होता है, जैसे कि ओला, उबर, ओयो, मेकमायट्रिप, या अर्बन कंपनी जैसी सेवाएं।

2 Self Invoicing

स्वयं इनवॉइसिंग तब करनी होती है जब आप किसी अपंजीकृत विक्रेता से सामान या सेवाएं खरीदते हैं और यह खरीद रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकिक्यों आपका विक्रेता आपको जीएसटी- अनुपालना वाला इनवॉइस नहीं दे सकता, और इस तरह आप पर उनकी ओर से टैक्स भुगतान की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए, इस स्थिति में Self Invoicing जरूरी हो जाती है। साथ ही विक्रेता को भुगतान करते समय एक भुगतान वाउचर भी जारी करना होता है।

3 Input Tax Credit (ITC) Under RCM

जब RCM के तहत चुकाया गया जीएसटी ITC के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि खरीदा गया सामान या सेवाएं उसके व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होती हों।हों इसके अलावा, रिवर्स चार्ज के तहत लिए गए सामान या सेवाओं पर लगने वाले आउटपुट जीएसटी का भुगतान खरीदार ITC का इस्तेमाल करके नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आउटपुट जीएसटी का भुगतान सिर्फ नकद में ही करना पड़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं।

4 Time of Supply Under RCM

जीएसटी के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म में, सामानों की सप्लाई का समय वह होता है जब सामान प्राप्त होते हैं, भुगतान की जाती है, या विक्रेता द्वारा इनवॉइस जारी किए जाने के 30 दिनों के बाद की तारीख (जो भी पहले हो)। वहीं, सेवाओं के मामले में, सप्लाई का समय भुगतान की तारीख या इनवॉइस जारी किए जाने के 60 दिनों के बाद की तारीख होती है (जो भी पहले हो)। अगर इन तारीखों का निर्धारण नहीं हो पाता, तो सप्लाई का समय प्राप्तकर्ता की किताबों में दर्ज प्रविष्टि की तारीख होती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जीएसटी का सही समय पर और सही तरीके से भुगतान हो।

GST and Import & Export

GST के तहत आयात और निर्यात कार्यों को अधिक सहज और प्रभावी बनाने का प्रयास

भारतीय व्यापार जगत में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का आगमन एक महत्वपूर्ण क्रांति रही है, खासकर आयात-निर्यात के क्षेत्र में। यह नई कर प्रणाली ने करों की जटिलताओं को कम करके व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और अधिक प्रभावी बनाया है। जीएसटी ने एक समान कर प्रणाली को प्रोत्साहित किया है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है। इस कर प्रणाली ने विशेष रुप से आयात-निर्यात क्षेत्र में अनेक लाभ प्रदान किए हैं। पहला लाभ है कर प्रक्रिया का सरलीकरण और पारदर्शिता, जिससे व्यापारियों के समय और धन की बचत होती है। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा ने उत्पादन लागत को कम कर दिया है, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। तीसरा, जीएसटी ने अंतरराज्यीय व्यापार में भी एकरूपता लायी है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुगमता आई है। हालांकि, जीएसटी के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इसके नियमों और प्रक्रियाओं की नवीनता के कारण, व्यापारियों को इसके साथ तालमेल बिठाने में कभी-कभी कठिनाई होती है। जीएसटी रिटर्न्स की जटिलता और इसके निरंतर बदलते नियम व्यापारिक समुदाय के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। इन चुनौतियों के कारण कभी-कभी आयात-निर्यात प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। फिर भी, जीएसटी ने भारतीय आयात-निर्यात व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की है। इसके लाभों और चुनौतियों को समझते हुए, यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकता है।

1 GST on Imports

जीएसटी के तहत आयात की नई व्यवस्था में, आयातकों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) और एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) चुकाना होता है। आयातित सामानों पर BCD की दरें पहले जैसी ही रहेंगी। सेवाओं के मामले में, विदेशी सेवा प्रदाता होने पर, कर का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता करेगा, जिसे 'रिवर्स चार्ज' कहते हैं। आयात के मामले में, IGST अब लेनदेन मूल्य पर लागू होगा, न कि MRP पर। 'आयात और बिक्री' मॉडल के तहत, आयात करते समय चुकाए गए IGST के बराबर क्रेडिट मिलेगा।

2 GST on Exports

निर्यातक बिना किसी कर के माल या सेवाएं निर्यात कर सकते हैं क्योंकि जीएसटी दरें वर्तमान प्रणाली में शून्य हैं। निर्यातक आयातित माल और सेवाओं पर चुकाए गए IGST क्रेडिट का भी लाभ उठा सकते हैं। निर्यात किए गए माल से निर्माण/खरीद में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर टैक्स की वापसी का भी दावा कर सकते हैं। इस टैक्स छूट की वजह से उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय माल और सेवाएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा।

3 Deemed Exports

जब निर्यात के लिए बने उद्योग (जैसे EOU) या Technology पार्कों को माल दिया जाए या जब कोई रजिस्टर्ड व्यापारी निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने का सामान बेचे तो इसे 'माना हुआ निर्यात' कहते हैं, उदाहरण के लिए, राजस्थान में स्थित व्यापारी 'A' ने व्यापारी 'B' को सामान बेचा, जो एक निर्यात उन्मुक्त क्षेत्र (EOU) में है। बाद में 'B' ने इन सामानों को जर्मनी में स्थित ग्राहक 'C' को बेच दिया। 'A' से 'B' को होने वाली आपूर्ति 'माना हुआ निर्यात' है, वहीं, 'B' हीं से 'C' को होने वाली आपूर्ति को असली निर्यात है।

4 Documents Required for Claiming Refund on Exports

ड्यूटी के भुगतान को दर्शाने वाले रिटर्न की कॉपी चाहिए, इनवॉइस की कॉपी, यह साबित करने वाला दस्तावेज कि टैक्स का बोझ आगे नहीं बढ़ाया गया है, जैसे कि सीए सर्टिफिकेशन और सरकार द्वारा मांगे गए कोई भी अन्य दस्तावेज। Deemed Export को बिना टैक्स भरे नहीं बेचा जा सकता। टैक्स भरने के बाद, सामान के आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता, दोनों में से कोई भी, टैक्स का रिफंड मांग सकते है। यदि आपूर्तिकर्ता रिफंड ले रहा है, तो प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता।

GST and the Manufacturing Sector

GST से विनिर्माण क्षेत्र को टैक्स सिस्टम में सुधार मिला

GST ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला है। GST के आने से पहले, विनिर्माण उद्योग एक टैक्स कार्यक्रम के कई भिन्न प्रकार के करों के साथ काम कर रहा था, जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर, VAT और CST। इसके परिणामस्वरूप, कर प्रणाली बेहद जटिल और कठिन थी, जिससे व्यवसायी और निर्माताओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही, अलग-अलग राज्यों में करों की विभिन्न दरें और नियम थे, जिससे व्यापारिक कार्य में उत्पादन लागत बढ़ जाती थी। GST ने एक समान कर प्रणाली की शुरुआत की, इससे कर प्रबंधन को सरल और सुगम बनाया गया, और कर चोरी को कम करने में मदद मिली। इसके साथ ही, अंतर-राज्यीय व्यापार में भी सुधार हुआ, जिससे व्यवसायिक बाधाएँ कम हुई और व्यावासिक गति में वृद्धि देखने को मिली। GST के तहत, विनिर्माण क्षेत्र को कर क्रेडिट की उपलब्धता में वृद्धि हुई, जिससे निर्माताओं की उत्पादन लागत में कमी आई। विभिन्न करों को एक सिंगल कर संरचना में समाहित करने से, GST ने निर्माण सामग्री की उत्पादन लागत को कम किया है। पहले, निर्माताओं को उत्पादन लागत का लगभग 25-26% अतिरिक्त चुकाना पड़ता था, जो मुख्यतः VAT और उत्पाद शुल्क के कारण था। अब, GST के साथ, यह समस्या हल हो गई है, जिससे सामान सस्ते हो गए हैं। GST के आने से, विनिर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुपालन की प्रक्रिया में भी सुधार हुआ है। अब व्यवसायी अपनी वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, और कर कानूनों का उल्लंघन करने से बच सकते हैं। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए भी GST ने सहायता प्रदान की है। इसने उन्हें बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया है। छोटे और मध्यम उद्यमों को कर क्रेडिट में जानकारी के चलते अब वे बड़ी विनिर्माण कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके अलावा, GST ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उत्पादकों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया है। इसने छोटे और मध्यम आकार के उत्पादकों को विभिन्न राज्यों के बाहर बेचने और खरीदने में अधिक सुविधा प्रदान की है, जिससे उनके व्यापार की गति बढ़ी है और उन्हें अधिक विकास का अवसर मिला है

1 Simplified Compliance and Registration Process

पहले जहाँ एक ही राज्य में स्थित विभिन्न कारखानों के लिए अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता होती थी, अब एक ही राज्य में कई कारखानों के लिए केवल एक पंजीकरण पर्याप्त है। इससे कागजी कार्य और सरकारी दखल में कमी आई है। GST के एकल कर प्रणाली ने पूर्व की जटिल और समय लेने वाली अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया है जिससे अनुपालन लागत में कमी और समय की बचत हुई है।

2 Cascading Effect

GST का सबसे ज्यादा फायदा विनिर्माण कंपनियों को ही हुआ क्यूंकि GST से 'कर पर कर' लगने की समस्या खत्म हो गई है। पहले, निर्माताओं को हर स्टेज पर उत्पाद की कुल कीमत पर उत्पाद शुल्क और वैट देना पड़ता था, जिससे उत्पाद महंगे हो जाते थे। लेकिन GST में, टैक्स सिर्फ उस Value Addition पर लगता है जो हर स्टेज पर होता है, जिससे टैक्स की Cascading नहीं होता और चीजें सस्ती हो जाती हैं।

3 Improvement in the Supply Chain

पहले, हर राज्य में अलग-अलग टैक्स होते थे, जिससे सामान बेचने और खरीदने में दिक्कत होती थी। लेकिन GST आने के बाद, एक देश में एक ही तरह का टैक्स लगने लगा। इससे व्यापारी और निर्माता आसानी से चीजें बेच और खरीद सकते हैं, और उनका खर्चा भी कम हो गया। इसके अलावा, अब राज्यों की सीमाओं पर टैक्स के चक्कर में समय बर्बाद नहीं होता, और सामान जल्दी पहुंचता है।

4 Transition towards Organized Industry

GST आने के बाद, असंगठित विनिर्माण उद्योग को संगठित उद्योग में बदलने की बड़ी चुनौती है। छोटी कंपनियां और छोटे उद्यम GST के तहत पंजीकृत होना अब उनकी मजबूरी है, इससे उन्हें अपने काम को ज्यादा संगठित और सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी वजह से असंगठित विनिर्माण उद्योगों का खर्चा बढ़ गया है क्योंकि GST के नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि इनके लिए थोड़ा जटिल और महंगा है।

GST and Service Sector

सेवा क्षेत्र में जीएसटी से बदल रही है भारत की अर्थव्यवस्था

सर्विस सेक्टर, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, परिवहन, और कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, पर GST का काफी असर पड़ा। पहले, इस सेक्टर में सेवा कर, VAT, लक्ज़री टैक्स और कई तरह के अन्य टैक्स हुआ करते थे, जिन्हें GST ने एकीकृत कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि सेवाओं के लिए टैक्स की दरें और प्रक्रिया सरल हो गई। उदाहरण के लिए, अगर कोई रेस्टोरेंट सेवा दे रहा है, तो उसे अब विभिन्न प्रकार के टैक्स नहीं भरने पड़ते, केवल GST देना होता है। इससे न केवल रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी चीजें आसान हुई। GST की अलग-अलग दरें होती हैं, जैसे 5%, 12%, 18%, और 28%। इसलिए, विभिन्न सेवाओं पर अलग-अलग GST दरें लागू होती हैं। सर्विस सेक्टर में GST का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)। यह सिस्टम व्यापारियों को उनके द्वारा खरीदी गई इनपुट सेवाओं पर दिए गए टैक्स को बाद में उनके द्वारा बेची गई सेवाओं पर लगने वाले टैक्स से कम करने की अनुमति देता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा से सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत फायदा हुआ लेकिन, हर चीज के दो पहलू होते हैं। GST के आने से कुछ चुनौतियां भी आईं। कई बार, छोटे व्यापारी और सर्विस प्रोवाइडर्स को GST रिटर्न फाइल करने में कठिनाई होती है, खासकर जब वे टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं होते। इसके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और हेल्पलाइन्स शुरू की हैं ताकि व्यापारी GST के प्रावधानों को अच्छे से समझ सकें और इसके अनुसार काम कर सकें। इसके अलावा, जिन सेवाओं पर पहले कम टैक्स था, उन पर GST की उच्च दरों के कारण लागत बढ़ गई। वहीं, दूसरी ओर, GST ने टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने में मदद की। चूंकि GST सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है, इसलिए ट्रांजेक्शन की पारदर्शिता बढ़ी और टैक्स चोरी करना कठिन हो गया। इसने व्यापारियों को अपने व्यापार की सही जानकारी सरकार को देने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा, GST ने सर्विस सेक्टर में नवाचार और विकास को भी बढ़ावा दिया है

1 Effect of GST on Hotel & Restaurant Sector

जीएसटी से पहले, इस क्षेत्र पर कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसमें सेवा कर, वैट, और लग्जरी टैक्स शामिल थे। इस क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं और उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि होटल के कमरे, रेस्तरां में खाना, बार सेवाएं, और सम्मेलन सुविधाएं। इन सभी सेवाओं को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। जीएसटी की दरें होटल के कमरे के किराए और रेस्तरां में परोसे जाने वाले खाने की कीमत पर निर्भर करती है। हालांकि, कुछ मुद्दे जैसे कि शराब पर जीएसटी का न लागू होना और बहु-स्थानीय पंजीकरण की आवश्यकता अभी भी चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं।

2 Effect of GST on Transportation and Logistics Sector

GST लागू होने से पहले, "Transportation and Logistics" क्षेत्र विभिन्न प्रकार के स्थानीय और राज्य-स्तरीय करों के जाल में उलझा हुआ था। इस क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में प्रवेश करते समय अलग-अलग चुंगी शुल्क (Octroi) और एंट्री टैक्स का सामना करना पड़ता था। GST के लागू होने के बाद, चुंगी शुल्क (Octroi) और एंट्री टैक्स जैसे कर खत्म हो गए है , जिससे राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी कतारें और प्रतीक्षा समय में कमी आई। इस बदलाव ने न केवल घरेलू परिवहन को प्रभावित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और निर्यात-आयात प्रक्रियाओं में भी सुधार लाया।

3 Effect of GST on Real State Sector

जीएसटी से पहले, खरीदारों को वैट, सेवा कर, राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला सेस, जैसे अलग-अलग कर देने पड़ते थे। GST आने के बाद, यदि किसी इमारत का निर्माण पूरा हो गया है और पूर्णता प्रमाणपत्र (CC) प्राप्त हो चुका है, तो उस इमारत में स्थित अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स की बिक्री पर जीएसटी लागू नहीं होता। यदि आप एक ऐसी संपत्ति खरीद रहे हैं जिसका निर्माण अभी चल रहा है या जिसे CC प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस पर जीएसटी लागू होगा। मार्च 2019 में, जीएसटी परिषद ने आवासीय संपत्तियों पर कर की दरें 12% से 5% और सस्ती आवास खंड में 8% से 1% तक घटा दीं, परन्तु नई कर दर नीति के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा।

4 Composition Scheme for Service Sector

ये योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई थी, इस योजना के अंतर्गत, जिनका वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये तक है, वे नाममात्र के दर पर कर भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। इसमें कम अनुपालन, कम कर देनदारी और कम विवरण वाले खाता-बही का फायदा है, लेकिन इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते, ग्राहक से कर नहीं वसूल सकते, और अंतरराज्यीय लेनदेन या निर्यात नहीं कर सकते। योजना के तहत, सेवा प्रदाताओं के लिए लागू GST दर 6% (3% CGST + 3% SGST) है।

GST on E-commerce

ई-कॉमर्स का जमाना है भाई

GST में ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यापारियों को कई नए नियमों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर सामान बेच रहे हों, या उबर और ओला जैसी सेवाएँ प्रदान कर रहे हों, जीएसटी आपके व्यापार के हर पहलू पर असर डालता है। इसमें सामान या सेवाएं बेचने वाले व्यापारी से लेकर वो ऑपरेटर जो अपने प्लेटफॉर्म पर इन सामान या सेवाओं को बेचने की जगह देते हैं, सभी शामिल हैं। इसके तहत, विभिन्न तरह के नियम हैं जैसे कि कौन जीएसटी इकट्ठा करेगा, कौन भुगतान करेगा, और किन-किन शर्तों का पालन करना होगा। अगर हम जीएसटी के अंतर्गत ई-कॉमर्स विक्रेताओं की बात करें, तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के विक्रेता हैं और उनके लिए अलग-अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति सामान बेचता है, उसे अपने टर्नओवर की परवाह किए बिना जीएसटी के लिए पंजीकृत होना पड़ता है। इसके विपरीत, जो सेवाएँ बेचते हैं और धारा 9(5) के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें केवल तब जीएसटी पंजीकरण कराना होता है जब उनका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक हो। फिर भी, धारा 9(5) में उल्लिखित सेवाएं जैसे कि यात्री परिवहन या आवासीय सेवाएं, यहाँ पर जीएसटी की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि उबर या ओला ही जीएसटी इकट्ठा करते हैं और सरकार को भुगतान करते हैं। जीएसटी के तहत, ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। इसमें ये भी शामिल है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और विक्रेताओं को किस तरह की जानकारी और विवरण सरकार को देने होते हैं। ये सब कुछ इसलिए जरूरी है ताकि टैक्स की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी रहे। इसलिए, अगर आप भी ई-कॉमर्स के क्षेत्र में हैं या इसमें उतरने की सोच रहे हैं, तो जीएसटी के इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ आपके व्यापार को वैधानिक तौर पर मजबूत करेगा बल्कि आपको कर संबंधी मुद्दों से भी बचाएगा

1 E-commerce Operators

ई-कॉमर्स ऑपरेटर वो होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामान या सेवाएँ बेचने का मंच प्रदान करते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला। अगर कोई अपनी वेबसाइट पर सामान बेचता है, तो वो ईकॉमर्स ऑपरेटर नहीं कहलाता। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को उनके टर्नओवर की परवाह किए बिना जीएसटी के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है।

2 E-commerce Sellers

ई-कॉमर्स सेलर्स वो होते हैं जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर सामान या सेवाएँ बेचते है। 1. सामान बेचने वाले: इन्हें टर्नओवर की सीमा से कम होने पर भी जीएसटी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। 2. सेवाएं बेचने वाले (धारा 9(5) में उल्लिखित सेवाओं के अलावा): इन्हें केवल तभी पंजीकृत होना आवश्यक है जब उनका टर्नओवर Threshold limit से ज्यादा हो। 3. धारा 9(5) में उल्लिखित सेवाएं बेचने वाले: इन्हें टर्नओवर की सीमा से ज्यादा होने पर भी जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं होना पड़ता, अगर वे केवल अपनी सर्विस इसी प्रकार से बेचते है ।

3 Who Will Collect and Pay GST

अगर कोई ई-कॉमर्स के जरिए सामान बेचता है, तो उस ई-कॉमर्स सेलर्स को ही जीएसटी इकट्ठा करके सरकार को देना होता है। दूसरे, अगर कोई ई-कॉमर्स के जरिए सेवाएं बेचता है, जो धारा 9(5) में नहीं बताई गई, तो भी ई-कॉमर्स सेलर्स को ही जीएसटी इकट्ठा करने का जिम्मा होता है। लेकिन, जब ई-कॉमर्स के जरिए धारा 9(5) में बताई गई सेवाएं बेची जाती हैं, तो उस केस में ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि ओला या उबर, को ही जीएसटी इकट्ठा करके सरकार को भुगतान करना पड़ता है।

4 The Services Mentioned in Section 9(5) are

धारा 9(5) में जो सेवाएं बताई गई हैं, वो इस प्रकार हैं: पहली सेवा है यात्री परिवहन, जैसे कि Ola या Uber के जरिए गाड़ी से यात्रा करना। दूसरी है आवासीय और ठहराव सेवाएं, जैसे कि होटल या गेस्ट हाउस बुक करना Goibibo या MakeMyTrip के जरिए। और तीसरी सेवा है घरेलू सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग या बढ़ईगीरी, जो UrbanClap जैसे प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। ये सेवाएं धारा 9(5) के अंतर्गत आती हैं, जिसका मतलब है कि जीएसटी का नियम इन पर खास तरीके से लागू होता है।

GST Exemptions

सब कुछ GST में कवर करोगे या कुछ छोड़ोगे भी

GST के अंतर्गत, कर मुक्ति तीन प्रकार की होती है पहली है, शून्य दर, यानी की जिन आपूर्तियों की कर की दर 0% है। उदाहरण के लिए खाने का नमक या एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं, जिन की सप्लाई पर ITC भी क्लेम किया जा सकता है। दूसरा है, गैर-GST, जो GST कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे मानव उपभोग के लिए शराब। तीसरा है, टैक्स फ्री, ये GST छूट भी तीन प्रकार की होती हैं, पहली पूर्ण छूट, बिना किसी शर्त के, यानि की धारा 2(78) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियाँ, उदाहरण के लिए शैक्षिक पुस्तकें, नक्शे, और अन्य शैक्षिक सामग्रियां भी GST से पूरी तरह मुक्त हैं। दूसरा सशर्त छूट, जिन पर कुछ शर्तें लागू होती हैं। व्यापारी जिनका वार्षिक कारोबार एक निश्चित सीमा से कम है (उदाहरण के लिए, 40 लाख रुपये), उन्हें GST रजिस्ट्रेशन से छूट होती है।। तीसरा आंशिक छूट, सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं GST से आंशिक रूप से मुक्त हैं, जबकि निजी अस्पतालों में कुछ सेवाएं और प्रक्रियाएं टैक्सेबल हो सकती है। यह छूटें न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी अनुकूल है। इससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं को और अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रदान कर सकते हैं। यह कुछ खास उद्योगों और सेवा क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करता है। GST में छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सूची काफी व्यापक है। इसमें कृषि-संबंधित सेवाएँ, कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ, और कुछ विशेष प्रकार की परिवहन सेवाएँ शामिल हैं। इस प्रकार की छूट समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक राहत प्रदान करती है और इससे उनके जीवन-स्तर में सुधार होता है।

1 GST Exemption from Registration

अगर किसी का सालाना कारोबार Threshold Exemption Limit से कम है, तो उसे GST के लिए रजिस्टर नहीं करना पड़ता। जो लोग GST मुक्त सामान या सेवाएं देते हैं या जिनके सामान पर GST नहीं लगता, वो भी इससे मुक्त हैं। जो लोग सामान या सेवाएं बेचने के अलावा कुछ और काम करते हैं या जो किसान हैं, उन्हें भी GST पंजीकरण की जरूरत नहीं है। अंत में, जिन सामानों की आपूर्ति "रिवर्स चार्ज" में आती है, उन्हें भी GST पंजीकरण की जरूरत नहीं होती। इसलिए, अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आपको GST से पूरी छूट मिलेगी।

2 GST Exemption for Startups and Small Businesses

जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है, वे जीएसटी के तहत एक विशेष योजना (Composition Scheme) का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उन्हें अपने टर्नओवर के आधार पर 1% से 6% की दर से कर देना होता है। छोटे व्यापारियों को E-Invoicing से भी छूट मिलती है, बशर्ते उनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम हो। 5 करोड़ से कम आय वाले व्यापारी तिमाही फाइलिंग सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं।

3 Exempted Goods under GST

भारत में GST से छूट वाले सामानों में आलू, प्याज जैसी ताजा और सूखी सब्जियाँ, मछली, अंडा, ताजा दूध वगैरह शामिल हैं। अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का जो कि ब्रांडेड पैकेजिंग में नहीं आते, वे भी GST से मुक्त हैं। इसके अलावा, अनप्रोसेस्ड अंगूर, तरबूज, अदरक, लहसुन, कच्ची कॉफी बीन्स और हरी चाय की पत्तियाँ, मानव रक्त, कच्चा जूट, खादी फाइबर, श्रवण यंत्रों के पुर्जे, चाक, स्लेट, हथकरघा आदि भी GST में छूट प्राप्त हैं। हालांकि, ये वस्तुएँ जब प्रोसेस की जाती हैं, तो उन पर GST लग सकता है।

4 Exempted Services under GST

कृषि सेवाएँ जैसे कटाई, पैकेजिंग, गोदाम, खेती, मशीनरी का किराया, जीएसटी से मुक्त होती हैं। सार्वजनिक परिवहन, ऑटो-रिक्शा, मीटर टैक्सी, मेट्रो आदि भी छूट में आते हैं। भारत के बाहर कृषि उत्पादों का परिवहन, खेतों के लिए मजदूरी, खुदरा पैकिंग जैसी सेवाएं भी जीएसटी से मुक्त हैं। विदेशी राजनयिक और सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, जैसे मध्याह्न भोजन कैटरिंग, पशु चिकित्सा क्लिनिक आदि भी इसमें शामिल हैं। धार्मिक समारोहों से संबंधित सेवाएं, खेल संगठन, टूर गाइड, और पुस्तकालय भी जीएसटी से मुक्त हैं।

Refund Process in GST

जीएसटी रिफंड प्रक्रिया ऑनलाइन होती है

इसके लिए आपको GST पोर्टल पर जाना होगा और RFD-01 फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें टैक्स, ब्याज, या अन्य कोई राशि के भुगतान का प्रमाण, जमा किए गए टैक्स की प्रति, और निर्यात के दस्तावेज शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया के बाद, यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है, तो आपको RFD-02 में एक पावती मिलेगी। अगर आपके आवेदन में कोई समस्या होती है, तो इसकी सूचना आपको RFD-03 के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद, यदि सब कुछ ठीक रहता है, तो अधिकारी RFD-04 के माध्यम से वापसी की राशि को मंजूरी देंगे, और फिर RFD-06 में वापसी का आदेश जारी करेंगे। इस प्रक्रिया के अंत में, रजिस्टर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में राशि स्वतः ही जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया में यदि वापसी की राशि 2 लाख रुपये से कम होती है, तो आवेदक को दस्तावेजी सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय, उपलब्ध सबूतों पर आधारित एक घोषणा दाखिल करनी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर वापसी में देरी होती है, तो सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के बाद से अगर वापसी में देरी होती है, तो 6% ब्याज दिया जाता है, और अगर यह देरी किसी निर्णयकारी प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उपजी है, तो 9% ब्याज दिया जाता है

1 Incorrect Tax Payment

कभी-कभी व्यापारी या सेवा प्रदाता गलती से GST का भुगतान ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि IGST के स्थान पर CGST/SGST का भुगतान कर देना या उल्टा। कभी-कभार व्यापारी या उपभोक्ता अनजाने में GST का अधिक भुगतान कर देते हैं, या फिर एक ही कर का दो बार भुगतान कर देते हैं, ऐसे मामलों में, अतिरिक्त भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए GST वापसी का दावा करना जरूरी होता है।

2 For Exporting Traders

जो व्यापारी अपने माल का निर्यात करते हैं, उन्हें भी GST वापसी का दावा करने का अधिकार होता है। निर्यात किए गए सामानों पर GST का भुगतान करने के बाद, व्यापारी इसे वापस पा सकते हैं, क्योंकि निर्यात पर टैक्स नहीं लगता। निर्यातक अपने GST रिफंड के 90% तक की राशि का प्रोविजनल रिफंड पाने के योग्य होते हैं। यह रिफंड आवेदन के स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर दिया जाता है, बशर्ते कि निर्यातक पिछले 5 वर्षों में किसी भी कानूनी कार्यवाही में न फंसे हों।

3 Refund for International Tourists

जब कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत में सामान खरीदता है और देश छोड़ते समय उस पर चुकाए गए IGST की वापसी का दावा कर सकता है। यह नियम भारतीय रेजिडेंट्स पर लागू नहीं होता है, चाहे वे किसी भी अवधि के लिए देश से बाहर जाएं। इस प्रकार की वापसी पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करती है और भारत को एक पर्यटक-अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करती है।

4 Inverted Tax Structure

कई बार ऐसा होता है कि व्यापारियों को अपने इनपुट पर अधिक GST चुकाना पड़ता है, जबकि उत्पाद की बिक्री पर कम GST लगता है। इसे उल्टी कर संरचना कहते हैं। कुछ व्यापारी और सेवा प्रदाता ऐसे सामान या सेवाएं प्रदान करते हैं जिन पर GST की दर निल होती है। ऐसे मामलों में, यदि वे पहले ही GST का भुगतान कर चुके हैं, तो व्यापारी उस अतिरिक्त चुकाए गए GST की वापसी का दावा कर सकता है।

Miscellaneous Concept of GST

GST के कुछ ऐसी विशेष अवधारणाओं भी हैं जिसके बारे में छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और आम जनता के लिए जानना महत्वपूर्ण है

GST एक ऐसा कर प्रणाली है जो हमारे देश के व्यापार और आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इससे जुड़ी बारीकियों को समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कारोबारी दुनिया में कदम रखना चाहता है या पहले से ही इसमें शामिल है। जीएसटी के तहत आने वाले कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि ई-वे बिल, जीएसटी ऑडिट, मूल्यांकन प्रक्रिया, और माल की वापसी जैसे मुद्दे, ये सभी बातें ऐसी हैं जिनसे हर व्यापारी का सामना होता है। ई-वे बिल से लेकर माल की वापसी तक, हर चीज का अपना एक नियम और प्रक्रिया होती है, जिसे समझना और पालन करना जरूरी है। इसके सही उपयोग से व्यापारी अपने करों की सही गणना कर सकते हैं, और इससे जुड़ी संभावित समस्याओं और जुर्माने से बच सकते हैं। जीएसटी की ये विशेष अवधारणाएँ और प्रक्रियाएँ हमें न केवल विधि सम्मत रूप से व्यापार करने में मदद करती हैं, बल्कि यह हमें आर्थिक रूप से भी सुरक्षित और सशक्त बनाती हैं। इसलिए, चाहे आप एक नए स्टार्टअप के मालिक हों या एक अनुभवी व्यापारी, जीएसटी की इन बुनियादी बातों को जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इससे आप अपने व्यापार को न केवल संवार सकते हैं, बल्कि इसे और अधिक फलदायक और सफल बना सकते हैं। जब हम जीएसटी के इन विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि यह कैसे हमारे व्यापारिक जीवन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसका सही उपयोग और समझ न केवल हमें विधिक रूप से सुरक्षित रखता है, बल्कि हमारे व्यापार को भी नई उचाइयों तक ले जा सकता है

1 E-Way Bill

अगर आपके पास 50,000 रुपये से ज्यादा का माल है और आप उसे गाड़ी से ले जा रहे हैं, तो आपको ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है, जो ई-वे बिल पोर्टल पर बनता है। चाहे आप जीएसटी रजिस्टर्ड हों या न हों, अगर माल की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है तो बिल जरूरी है। अगर आपने यह बिल नहीं बनाया तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर आपका माल और गाड़ी जब्त हो सकती है। यहां तक कि ट्रांसपोर्टरों को भी यह बिल बनाना पड़ता है अगर सप्लायर ने नहीं बनाया हो।

2 Audit in GST

GST Audit वो प्रक्रिया है जिसमें किसी करदाता के रिकॉर्ड, रिटर्न्स और अन्य दस्तावेजों की जांच होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार की सही जानकारी, चुकाया गया कर, दावा किया गया रिफंड और प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट सही हैं या नहीं। CGST/SGST के कमिश्नर या उनके अधिकृत अधिकारी किसी भी करदाता का ऑडिट कर सकते हैं। अगर कोई करदाता ऑडिट के बाद कोई गलती या छूटी हुई जानकारी पाता है, तो वह ब्याज का भुगतान करके सुधार कर सकता है।

3 Assessment in GST

जीएसटी में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर अधिकारी यह जांचते हैं कि क्या करदाताओं ने अपने कर सही ढंग से गणना की है और चुकाया है। इसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, जैसे कि अस्थायी मूल्यांकन, संक्षिप्त मूल्यांकन और सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन। अगर करदाता अपने रिटर्न में कोई गलती करते हैं, तो कर अधिकारी उन्हें नोटिस भेजकर इसे सुधारने को कहते हैं। अगर सही जवाब नहीं आता, तो वे आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी करदाता अपने करों की सही गणना करें और उन्हें सही तरीके से भुगतान करें।

4 Return of Goods under GST

जब व्यापारी माल वापस करते हैं या उत्पाद वापस लेते हैं, तो इसे GST के अंतर्गत संभालना पड़ता है। पहले, जब माल बेचा जाता है, तो विक्रेता GST इनवॉइस जारी करता है। अगर वही माल वापस आता है, तो विक्रेता को 'क्रेडिट नोट' जारी करना होता है। इस क्रेडिट नोट से विक्रेता को पहले चुकाया गया GST वापस मिल जाता है। इस प्रक्रिया से व्यापारी का GST खाता सही रहता है, और वे अपने लेखे में सही जानकारी रख सकते हैं।

List of Due Date

GST FORMS	Frequenc	FILING DUE DATES	Reasons to File	Penalties/Late Fees of non filing
GSTR1	Monthly	11th of next month	GSTR 1 is a monthly/quarterly return that summarises all sales (outward supplies) of a taxpayer.	There is a GST penalty of Rs 50/day for late filing of GSTR-1 Let's consider a business with a turnover of Rs. 10 lakhs. If there is NO Turnover then Rs 20/Day for Late Filling
GST3B	Monthly	20th of next month	the purpose of the return is for taxpayers to declare their summary GST liabilities for a particular tax period and discharge these liabilities.	There is a GST penalty of Rs 50/day for late filing of GSTR 3B. Let's consider a business with a turnover of Rs. 10 lakhs. If there is NO Turnover then Rs 20/Day for Late Filling
GSTR1	Quarterly	13th of next month	GSTR 1 is a monthly/quarterly return that summarises all sales (outward supplies) of a taxpayer.	There is a GST penalty of Rs 50/day for late filing of GSTR -1 Let's consider a business with a turnover of Rs. 10 lakhs. If there is NO Turnover then Rs 20/Day for Late Filling
GST3B	Quarterly	24th of next month	the purpose of the return is for taxpayers to declare their summary GST liabilities for a particular tax period and discharge these liabilities.	There is a GST penalty of Rs 50/day for late filing of GSTR 3B. Let's consider a business with a turnover of Rs. 10 lakhs. If there is NO Turnover then Rs 20/Day for Late Filling
GST9	Yearly	31st December of every year	an annual return that has to be filed by business owners who are part of the Regular Scheme	A late fee of Rs. 200 per day (CGST Rs. 100 and SGST Rs. 100) per day, subject to a maximum of 1/2th of the taxpayer's turnover in the state or union territory, is applicable.
GST9C	Yearly	31st December of every year	GSTR 9C is a form for annual GST reconciliation statement filed by applicable taxpayers. Every registered person whose aggregate turnover during a financial year exceeds Rs. 5 crore rupees must file this form.	A late fee of Rs. 200 per day (CGST Rs. 100 and SGST Rs. 100) per day, subject to a maximum of 1/2th of the taxpayer's turnover in the state or union territory, is applicable.
GSTR8	Yearly	10th day of the succeeding month or as amended by Government by notification from time to time	GSTR 8 is a return to be filed by the e-commerce operators who are required to deduct TCS (Tax collected at source) under GST.	If you fail to file GSTR 8 return on time, you will be obligated to pay a penalty of Rs. 200 (Rs. 100 CGST and Rs. 100 SGST/UTGST) per day.
GSTR4	Yearly	30th of April following the relevant financial year.	an yearly return to be filed once, for each financial year, by the taxpayers who have opted for composition scheme during the financial year,	Note that you need to pay a penalty of Rs. 200 per day if you fail to file GSTR 4 within the due date. The maximum fee that can be charged is Rs. 5000.
GSTR5	Yearly	20th of the next succeeding month for a particular tax period but after Budget 2022, the due is the 13th of the next succeeding month.	a document/statement that has to be filed by every registered non-resident taxable person for the period during which they carry out businesses transactions in India.	The time period starts from the 21st of every month, which is the next day of filing the return. A late fee of ₹20 a day for nil return and 50 a day otherwise will be levied. ₹5,000 is the maximum late fee that can be charged.
GSTR6	Yearly	the 13th of the following month	Only those persons who are registered as Input Service Distributor (ISD) need to file Form GSTR 6.	If you didn't submit the return by the deadline, you are required to pay a fine of ₹50 each day. However, when a Nil return is filed, no reduction allowance is granted
GSTR7	Yearly	10th of the following month.	a return which is required to be filed by the persons who deduct tax at the time of making/crediting payment to suppliers towards the inward supplies received.	If the GST return is not filed on time, then a penalty of Rs. 100 under CGST and Rs. 100 under SGST shall be levied, and the total will be Rs.
GSTR10	Yearly	within three months from the date of cancellation or date of cancellation order whichever is later.	A taxable person whose GST registration is cancelled or surrendered has to file a return in Form GSTR 10 called as Final Return.	Non filing of GSTR 10 within the due date will result in late fees of 100 rupees per day of delay, subject to a maximum of 0.25% of the taxpayer's turnover.
GSTR11	Yearly	28th of the month following the month in which the inward supply is received by the UIN holders.	Form GSTR 11 is a form to be filed by every registered person, who has been issued a Unique Identity Number (UIN), to get tax credit/refunds under GST.	The late fee is Rs. 200 per day, of which Rs. 100 is the SGST and Rs. 100 is the CGST.
GST CMP 08	Yearly	18th January 2024 for the 03rd quarter of October to December 2023.	Form GST CMP 08 is used to declare the details or summary of self assessed tax which is payable for a given quarter by taxpayers who are registered as composition taxable person or taxpayer who have opted for composition levy.	100/day CGST and Rs. 100/day SGST) as a consequence to failing/ being unable to file form CMP-08 in the prescribed time. However, the late fee charges will be subject to a maximum of Rs 5,000 from the start of the due date to the actual return filing date of the taxpayer.
ITC-04	Yearly	Half yearly: 25th October and 25th April. Yearly: 25th April.	Form ITC 04 contains details of inputs and capital goods sent to and received from a job worker. This form needs to be filed by every principal manufacturer who is sending goods for job work on quarterly basis.	There are no specific penalties or late fees prescribed for the delay in filing GST ITC 04. However, Section 125 of the GST Act provides for a general penalty of up to Rs. 25,000 for contravention of the provisions of the Act and rules made thereunder.

Our Other Publication

Scan & Download All Booklets

NEUSOURCE STARTUP MINDS INDIA LIMITED

Corporate Office

B-11, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri
New Delhi-110018 (India)
Email: Info@neusourcestartup.com
Website: www.neusourcestartup.com
Contact:- +91-7305145145, +91-11-46061463
Branches:- Delhi, Kolkata, Lucknow, Bangalore, Jaipur